www.ecourtsindia.com

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 18309/2022

1. Gopal S/o Tulsi Ram, Aged About 28 Years, R/o Dungapura, Police Station Balghat, District Karauli.
2. Hetram S/o Gyan Singh, Aged About 30 Years, R/o Dungapura, Police Station Balghat, District Karauli.

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Krishna Sngh
For Respondent(s) : Mr. Suresh Kumar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Order

06/01/2023

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना **बालघाट जिला करौली** में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 143/**22** अपराध अंतर्गत धारा **147, 148, 149, 323, 341, 336, 325, 307** भारतीय दंड संहिता में गिरफ्तारी की आशंका से व्यथित होकर पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क रहा कि अभियुक्तगण निर्दोष है, उनकी इस घटना में कोई भूमिका नहीं है, उनके द्वारा मारपीट किये जाने के आरोप हैं तथा समान अवस्थित अभियुक्त तुलसीराम व ज्ञानसिंह की इसी आधार पर अग्रिम

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC021027622022/truecopy/order-2.pdf

जमानत समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, अतः प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में तुलसीराम व ज्ञान सिंह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद थे तथा उनके द्वारा कोई विशिष्टि चोट कारित नहीं किये जाने के तथ्यों को देखते हुए अग्रिम जमानत की सुविधा समकक्ष पीठ द्वारा प्रदान की गयी थी। अभियुक्त गोपाल का मामला पूर्णतः उपरोक्त अभियुक्तगण के समकक्ष है, अभियुक्त गोपाल द्वारा भी कोई चोट कारित किये जाने आदि के आरोप प्रथम सूचना रिपोर्ट व गवाहान के बयानों में नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, अभियुक्त **गोपाल** की हद तक यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

जहां तक अभियुक्त **हेतराम** का प्रश्न है, हेतराम द्वारा परिवादी तथा आहत मोतीराम के सिर पर लाठी से मारपीट कर चोट पहुंचाने का आरोप है। चोट प्रतिवेदन से भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। हेतराम द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मारपीट की गयी है जिससे सुशीला के गंभीर चोटें आयी है और उसे अस्पताल में भी भर्ती रहना पडा है, प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के इस प्रक्रम पर मामले के

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC021027622022/truecopy/order-2.pdf

गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त **हेतराम** की हद तक यह अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्ता **गोपाल पुत्र तुलसीराम** की हद तक यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि **यदि प्रार्थी** इस मामले में गिरफ्तारी की अवस्था में **एक लाख रूपये** का स्वयं का बंध पत्र **पचास–पचास हजार** रूपये की दो प्रतिभूति संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी की संतुष्टि की पेश कर तस्दीक करा दे तो उन्हें निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावेः–

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

परिणामतः अभियुक्त **हेतराम पुत्र ज्ञानसिंह** की हद तक धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /95

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC021027622022/truecopy/order-2.pdf